

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3028
बुधवार, 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लू

†3028. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2020 से लू से होने वाली मौतों का वर्षवार और राज्यवार आंकड़ा क्या है;
- (ख) भीषण लू से प्रभावित पीड़ितों के लिए उपलब्ध मुआवजा योजनाओं या सहायता तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा देश भर में आगामी वर्षों में भीषण लू में अनुमानित वृद्धि से निपटने के लिए शुरू किए गए सक्रिय उपायों का ब्यौरा और इसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार नवीनतम उपलब्ध विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।
- (ख) राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अधीन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के वार्षिक निधि आबंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।
- (ग) जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान बढ़ रहा है, और इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता में परिलक्षित होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)-छठी आकलन रिपोर्ट (https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf) भी यही दर्शाती है। लू के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करना आवश्यक है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और सभी क्षेत्रों में धारणीय अभ्यासों को लागू करने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग शामिल है। आने वाले वर्षों में लू के कारणों को कम करने के लिए राज्यों की मदद से भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC) इस दिशा में प्रमुख पहलों में से एक है। इसके अतिरिक्त, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के माध्यम से अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत विकास के लिए कम कार्बन वाली रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वय करके निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना, उसके बाद तापमान और लू की स्थितियों का विस्तारित-अवधि पूर्वानुमान जारी करना। समय पर सार्वजनिक पहुँच के लिए पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।
- राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की योजना बनाने में मदद करने के लिए पूरे भारत में जिलावार लू संवेदनशीलता एटलस।
- पूरे भारत में गर्म मौसम के जोखिम का विश्लेषण मानचित्र जिसमें दैनिक तापमान, पवनें और आर्द्रता की स्थिति शामिल है।
- लू की स्थिति से प्रभावित 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAP) को राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।
- गर्मी के मौसम की शुरुआत से बहुत पहले राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय लू तैयारी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है और ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जनता के उपयोग के लिए 'उमंग' मोबाइल ऐप के साथ अपनी सात सेवाएँ (वर्तमान मौसम, तत्काल पूर्वानुमान, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियाँ और चक्रवात) शुरू की हैं। इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान के लिए 'मौसम', कृषि मौसम परामर्शिकाओं के प्रसारण के लिए 'मेघदूत' और बिजली अलर्ट के लिए 'दामिनी' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (CAP) को भी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चेतावनियाँ प्रसारित करने के लिए लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2020-2022 के दौरान लू/सन स्ट्रोक के कारण राज्य/ संघ राज्यवार मौतें:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	1
4	बिहार	53	57	78
5	छत्तीसगढ़	3	2	11
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	12	8	5
8	हरियाणा	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0
10	झारखंड	23	33	47
11	कर्नाटक	1	0	2
12	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	7	2	27
14	महाराष्ट्र	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	13	15	38
20	पंजाब	110	91	130
21	राजस्थान	23	1	12
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	2	2
24	तेलंगाना	98	43	62
25	त्रिपुरा	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	50	35	130
27	उत्तराखंड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	6	11	18
	कुल राज्य	530	374	729
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव@+	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	1
33	जम्मू और कश्मीर@ *	0	0	0
34	लद्दाख@	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0	0	1
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	530	374	730

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' 2018 और 2019 के दौरान तत्कालीन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त डेटा

'*' 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का डेटा

स्रोत: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं , राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA)